नए बाल भवन/बाल भवन केन्द्रों के रूप में राष्ट्रीय बाल भवन से मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित संस्थानों तथा संगठनों की 'सीड मनी' जारी करने के लिए मार्गदर्शी–निर्देश

पूर्वोत्तर राज्यों, अ.जा./अ.ज.जा. बहुल क्षेत्रों, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों आदि में प्राथमिकता के आधार पर बाल भवन व बाल भवन केन्द्र खोलने के लिए सरकारी संगठनों/संस्थानों दोनों को भवनों में जीर्णोद्धार/संरचना के निर्माण के लिए नीचे दिए गए नियम एवं शर्त्तों के आधार पर 'सीड मनी' प्रदान की जाएगी :–

क) बाल भवन/बाल केन्द्रों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों दोनों को भवनों के जीर्णोद्धार/निर्माण तथा उपकरणों की खरीद के लिए यदि प्रस्तावित हो और आवश्यक पाये जाने पर रू0 दस लाख की 'सीड मनी' प्रदान की जाएगी।

ख) पूर्वोत्तर राज्यों में नए बाल भवन/बाल भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए समुचित सरकारी एजेंसी/परिषद् के माध्यम से रू. दस लाख प्रदान किए जाएंगे।

ग) पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए बाल भवन/बाल भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए समुचित सरकारी एजेंसी/परिषद् के माध्यम से रू. बीस लाख की राशि प्रदान की जाएगी।

सीड मनी के लिए नियम एवं शर्ते/मार्गदर्शी–निर्देश

i) सीड मनी के लिए प्रस्ताव भेजने का उचित माध्यम :–

सीड मनी के लिए आवेदन करने के प्रस्ताव स्थानीय राज्य सरकार के किसी अधिकारी जैसे जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम के आमुक्त (अथवा) किसी राज्य सरकार के निदेशक/आयुक्त अथवा किसी राज्य सरकार के विभाग जैसे स्कूल शिक्षा विभाग/महिला एवं बाल कल्याण विभाग/समाज कल्याण/पंचायत राज विभाग आदि द्वारा अनुशंसित होने चाहिए।

ii) सीड मनी जारी करने के लिए मानदंड

1. प्रति जिला प्रति एजेंसी को (प्रबन्ध मंडल की 194वीं बैठक के एजेण्डा 8 पैरा 1 के अनुसार) सीड मनी जारी की जा सकती है।

2. <u>सीड मनी के लिए प्रस्तावों को दो उप–श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :–</u>

i) (क) संरचना का <u>नवीनीकरण/निर्माण</u>

(ख) भवन के लिए उपकरण

<u>राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा कुल अनुमानित लागत का कुल 50% भार वहन किया जाएगा।</u>

ii) गतिविधियों के लिए उपकरणों की खरीद – अनुमोदित गतिविधियों के लिए 100%.

1. <u>नवीनीकरण</u>

बाल भवनों/बाल भवन केन्द्रों के रूप में संस्थानों/संगठनों के नवीनीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर विचार किया जा सकता है :–

क) मेसनरी कार्य, पेंटिंग, सफेदी, छत के आदि क्षतिग्रस्त हुए हिस्सों, दीवारों का सीमेन्ट पलस्तर, बोरवैल – जल /हैण्ड पम्प/सबमर्सी बल पम्प, वर्तमान ढांचे का पुर्नरूद्धार, जैसी आवश्यकता हो।

ख)भवन के लिए उपकरण।

2. <u>नई संरचना का निर्माण :</u>

संरचना के निर्माण को पुनः दो उप श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :–

(क) भवन का निर्माण

(ख) भवन के लिए उपकरण

(क) <u>भवन–निर्माण कार्य :</u>

1) 1 कार्यालय कक्ष, कॉमन हाल, बच्चों का क्रीड़ा–स्थल तथा सम्बंधित बाल भवन/बाल भवन केन्द्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पांच गतिविधि कक्षों का कोई तथा निर्माण कार्य।

2) बाल भवनों/बाल भवन केन्द्रों के प्रस्तावित भवन में शौचालायों का निर्माण।

ख) भवन के लिए उपकरण :

3) बाल भवन/बाल केन्द्रों के गतिविधि कक्ष फर्नीचर, वाटर कूलर, पानी की टंकी, वाटर फिल्टर, वाटर हार्वेस्टिंग, पंखे, रूम हीटर रूम कूलर, सोलर लाइट तथा अन्य सोलर उपकरण, कम क्षमता के जेनरेटर, सी सी टी वी कैमरे तथा स्थानीय स्थिति व आवश्यकता पर निर्भर करते हुए अन्य सभी जरूरी मदें।

3. <u>सीड मनी जारी करना</u>

- सीड मनी की राशि अनुदान का प्रस्ताव अग्रेषित करने वाली राज्य सरकार की एजेंसी/विभाग के माध्यम से जारी की जाएगी। सरकारी विभाग/एजेंसी अनुदान के उपयोग पर निगरानी रखेगी और काम के पूरा होने के संबंध में, जिसके लिए अनुदान जारी किया गया है, केन्द्र को अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजेगी।

- सीड मनी जारी होने तथा केन्द्र की स्थापना के उपरान्त इन्हें जारी सीड मनी के उपयोग हो जाने के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त बाल भवन/बाल भवन केन्द्रों के राष्ट्रीय रूप में मान्यता मिल जाएगी।

- राशि उपयोग सम्बंधी प्रमाण पत्र, जिसमें अंकेक्षित वार्षिक लेखे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ अवश्य प्रस्तुत किए जायें :
  (क) लेखा परीक्षित तुलन–पत्र
  (ख) लेखा परीक्षित आय एवं व्यय विवरणी
  (ग) लेखा परीक्षित प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी
  (घ) मूल बिल

- सीड मनी जारी होने पर सम्पन्न सभी व्ययों से संबंधित उपरोक्त दस्तावेज़ों के साथ मूल वाऊचर अवश्य प्रस्तुत किए जाएं। प्राप्त की गई मदों को रिकार्ड में दर्ज करने के उपरान्त वैट/टिन संख्या से युक्त मूल बिल संबंधित बाल भवनों के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। उपभोज्य स्टॉक रजिस्टर, गैर–उपभोज्य सामग्री स्टॉक रजिस्टर में सामान्य वित्तीय नियम के नवीनतम मानदण्डों के अनुसार, वेट/टिन संख्या से रहित खरीद बिलों को वास्तविक बिल नहीं माना जाएगा। भवन/निर्माण गतिविधियों के लिए खरीद के बिलों के सम्बंध में ऐसे बिलों को नाप–जोख बही रजिस्टर (अथवा) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल के अनुसार अन्य रजिस्टरों में आवश्यक दर्ज किया जाए।

4. उपरोक्त दस्तावेज़ों के साथ उपयोग प्रमाण पत्र के निर्धारित फार्मेट प्रस्तुत न करने तथा सीड मनी के अर्न्तगत प्राप्त मदों की प्राप्ति सूचना सीड मनी जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्थान से पूरी की पूरी राशि वसूल कर ली जाएगी।
5. यदि सीड मनी/गैर–आवर्ती अनुदान के अन्तर्गत जारी राशि के उपयोग के सम्बंध कोई गड़बड़ी/धोखाधड़ी सामने आती है तो संस्थान की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी और आबंटित राशि की वसूली के लिए संस्थान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

<u>''सीड मनी'' जारी कराने के लिए प्रोफार्मा</u>

1. संगठन का नाम और पता एवं दूरभाष सं0 :
2. संगठन के प्रमुख (कार्यपालक प्रमुख) का नाम और पदनाम तथा पद की समयावधि व दूरभाष सं0 :
3. संगठन का संक्षिप्त विवरण क्या यह राज्य सरकार/अथवा न्यास/समिति द्वारा संचालित हैं :
4. निधि के स्रोत :
5. बच्चों तक प्रस्तावित पहुंच तथा सामाजिक व भौगोलिक संकेतक जैसे पूर्वोत्तर राज्य/अ.जा/अ.ज.जा. जनसंख्या/सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र
6. नए बाल भवन में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां तथा प्रत्येक गतिविधि में अनुमानित सदस्यता :
7. उपलब्ध/प्रस्तावित गतिविधियों के लिए विद्यमान प्रशिक्षित अध्यापक/अनुदेशकों की संख्या :
8. सुविधा का स्वरूप, जिसके लिए अनुदान का आवेदन हैं :

   <u>निर्माण/संरचना</u>

   (कृपया नीचे उल्लिखित विकल्पों में 'सीड मनी'का प्रयोजन बतायें)

   क) भवन निर्माण के लिए अपेक्षित सीड मनी

   ख) जीर्णोद्धार के लिए अपेक्षित सीड मनी

   ग) संरचना/भवन के लिए उपकरणों के विकास हेतु अपेक्षित 'सीड मनी'

i) भवन निर्माण/जीर्णोद्धार/संरचना के विकास के लिए सीड मनी के प्रस्ताव के साथ भवन

का नक्शा/ब्लू प्रिंट प्रस्तुत किया जाना चाहिए (जो स्थानीय राज्य सरकार के विभागीय

जिला अधिकारी से अनुशासित/अनुमोदित तथा लोक निर्माण विभाग/सरकार द्वारा अनुमोदित किसी प्लानर/वास्तुविद अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी से ही तैयार कराया गया हो।)

ii) उपकरणों की खरीद :

गतिविधियों के लिए उपकरणों की खरीद हेतु अपेक्षित सीड मनी के लिए उसका ब्यौरा/सूची तथा अनुमानित लागत की जानकारी सीड मनी के लिए प्रस्ताव के साथ पृथक पृष्ठ में प्रस्तुत की जाए।

9. सीड मनी के लिए प्राथमिकता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए क्षेत्र की सामाजिक व भौगोलिक आवश्यकता दर्शाएं।

10 केन्द्र प्रारम्भ करने के लिए विस्तृत बजट अनुमान (शीर्ष–वार), जिसके लिए सीड मनी की मांग की गई है।

11. केंद्र शुरू करने के लिए भूमि का विवरण यदि उपलब्ध है यदि भूमि लीज पट्टा समझौते पर है लीज पट्टा समझौते की प्रति संलग्न करें ।

12. केंद्र शुरू करने के लिए फंड के स्रोत और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए फंड के स्रोत एन बी बी द्वारा केंद्र शुरू करने के लिए जारी अनुदान के अलावा

13. परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक समय एन बी बी द्वारा सीड मनी की रिहाई के बाद

14. पिछले अनुदान सहायता का विवरण, यदि कोई हो किसी भी भारत सरकार के मंत्रालयों या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त (इसके कार्यान्वयन की एक विस्तृत रिपोर्ट , उपयोगिता प्रमाणपत्र और अंकेक्षित लेखा की प्रति संलग्न करें)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित

संगठन की सील